


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 88/2022

उनवानी :- खेमसिंह बनाम रमेश व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
06.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार – बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी सायल एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 88/2022 उनवानी खेमसिंह बनाम रमेश व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 16.05.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ग्रो किये जाते हैं। पत्रावली फौंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>